

हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 08 जनवरी 2026, समय 13:05 (5 मिनट))

वर्तमान वित्त वर्ष में देश की सकल घरेलू उत्पाद-जीडीपी में 7 दशमलव 4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 6 दशमलव 5 प्रतिशत थी। जीडीपी के आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की “रिफार्म एक्सप्रेस” लगातार गति पकड़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह वृद्धि एनडीए सरकार के निरंतर निवेश प्रोत्साहन और मांग-आधारित नीतिगत उपायों के कारण संभव हो रही है।

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचागत विकास, विनिर्माण प्रोत्साहन, डिजिटल सार्वजनिक वस्तुएं और व्यापार में सुगमता जैसे क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयास समृद्ध भारत के सपने को साकार करने की दिशा में लक्षित हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों से पता चलता है कि सेवा क्षेत्र का मजबूत प्रदर्शन विकास का एक प्रमुख चालक बना हुआ है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने **विनियामक** ज़रूरतों का पालन न करने पर 35 नॉन-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण पत्र रद्द कर दिए हैं। केन्द्रीय बैंक ने कहा कि इन कंपनियों को अब नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल संस्थानों का कारोबार करने की इजाज़त नहीं है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने ने लोगों को, किसी भी वित्तीय लेन देन से से पहले वे वित्तीय संस्थाओं का रेगुलेटरी स्थिति का पता करने की सलाह दी है ।

हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने भिवानी जिले के थाना सदर में सिविल प्रकृति के विवाद के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 और 170 का अनुचित प्रयोग कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है।

आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने इसे मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए संबंधित पुलिस अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं।

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, दो भाइयों के बीच सिविल विवाद से संबंधित शिकायत की जांच के दौरान सहायक उप निरीक्षक वीरेंद्र द्वारा निवारक धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की गई। आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि की इन धाराओं को लागू करने के लिए आवश्यक शर्तें इस मामले में पूरी नहीं होतीं।

जस्टिस ललित बत्रा ने कहा कि जब मामला सिविल प्रकृति का था और दोनों पक्ष पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारियों के

समक्ष मौजूद थे, तब शांति भंग या किसी संज्ञेय अपराध की आशंका नहीं थी।

हरियाणा पुलिस के विशेष कार्य बल -STF ने वांछित गैंगस्टर अमन कुमार उर्फ अमन भैंसवाल को संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्वासित कर भारत वापस लाने में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि यह उपलब्धि हरियाणा पुलिस की अंतरराष्ट्रीय पहुंच, सतत निगरानी और रणनीतिक क्षमता की सशक्त मिसाल है। यह वर्ष 2025 से अब तक STF द्वारा किया गया छठा सफल निर्वासन तथा अमेरिका से किया गया दूसरा बड़ा ऑपरेशन है, जिसने हरियाणा पुलिस की अपराध-रोधी नीति को नई ताकत प्रदान की है।

श्री अजय सिंघल ने अपराधियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि हरियाणा में अपराध के लिए अब कोई सुरक्षित जगह नहीं बची है। उन्होंने कहा, हरियाणा

पुलिस की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। हर भगोड़ा, चाहे देश में हो या विदेश में, कानून के दायरे में लाया जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग की और से जींद मुख्यालय पर जिला भर के डेंटल सर्जनों की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें पूरे माह में किए गए कार्यों को समीक्षा की गई। बैठक में इस माह किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा निर्धारित की गई।

बैठक के पश्चात सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन कोहली ने बताया कि ओरल हेल्थ और तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को लेकर सभी डेंटल सर्जन काम कर रहे हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जो भी ओरल कैंसर जागरूकता को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए हैं, उन्हें पूरा किया जाएगा।

उप सिविल सर्जन डॉ. रमेश पांचाल ने बताया -

केंद्र सरकार ने जनगणना के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। जनगणना का पहला चरण इस वर्ष पहली अप्रैल से 30 सितंबर तक चलेगा। इस चरण में घरों की गिनती की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 30 दिन की अवधि निर्धारित होगी।

गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि घरों की गिनती शुरू होने से 15 दिन पहले तक लोगों को खुद भी यह जानकारी दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध होगी।
